दिनांक- 18.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 पाउच देशी शराब महबूबा (मसाला) मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 17.04.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त **वेदपाल उर्फ सोनू पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम नौगवाँ थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** को शिव कालोनी, चौकी क्षेत्र बडकला के पास से गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से 20 पाउच देशी शराब महबूबा (मसाला) मार्का बरामद हुए । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 77/24 धारा 60 आबकारी अधि0 व धारा135 सी(2) लोक प्रतिनिधित्व अधि0 1951 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ व नशा करने का आदि हूँ। देशी शराब सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रो में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। आज जब मैं शराब बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

प

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

वेदपाल उर्फ सोनू पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम नौगवाँ थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण

20 पाउच देशी शराब महबूबा (मसाला) मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 18.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ एंव सर्विलांस टीम द्वारा दौराने पुलिस मुठभेड़ गैर प्रान्त से अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 02 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार

बरामदगी –

- 07 तमंचे 315 बोर
- 01 रायफल 315 बोर(पौनी)
- 07 जिंदा कारतूस 315 बोर
- 02 खोखा कारतूस 315 बोर
- 02 मोबाईल फोन

- गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर,द्वारा 25,000/- रुपये का नकद पुरस्कार

अवगत कराना है कि विगत कुछ दिनो से थाना बिहारीगढ पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ व्यक्ति गैर जनपद से अवैध हथियार लाकर थाना बिहारीगढ क्षेत्र व जनपद सहारनपुर क्षेत्रान्तर्गत में बडे पैमाने पर खरीद फरोख्त करते हैं। जिससे अपराधी किस्म के व्यक्ति इन हथियारों का उपयोग कर भविष्य में कोई गम्भीर घटना कारित कर आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त सूचना के क्रम में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध हथियारों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एंव बरामदगी के संबंध में पुलिस टीम गठित कर दिशा निर्देश दिए गये। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बिहारीगढ के कुशल नेतृत्व में थाना बिहारीगढ एंव सर्विलांस पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 17.04.2024 की रात्रि को देहरादून हाईवे की सर्विस रोड पर गश्त की जा रही थी, तभी सर्विस रोड से जंगल की और जाने वाले रास्ते पर 03 व्यक्तियों ने पुलिस को अपनी तरफ आता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर भागने लगे। तभी पुलिस टीम द्वारा बदमाशो की गोली से अपना बचाव करते हुए उनका पीछा कर उन्हें घेर घोटकर **02 शातिर अभियुक्तगण 1. इलियास पुत्र मन्जूर हसन निवासी कल्लनहेडी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर 2. मोनू पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम अम्बेहटा मोहन थाना बडगाँव जिला सहारनपुर** को बाद पुलिस मुठभेड देहरादून सहारनपुर हाईवे के सर्विस रोड के निकट दून प्राईड पब्लिक स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से **07 देशी तमंचे 315 बोर, 01 देशी रायफल**

(पौनी) 315 बोर, 06 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर व 02 मोबाईल फोन बरामद हुये ।01 बदमाश मौके से भागने में सफल रहा। फरार बदमाश की तलाश की जा रही है। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना बिहारीगढ पर **मु0अ0सं0 73/2024 धारा 307 भादवि व धारा 3/5/25(8) आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष समय से पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण दोनो ने एक स्वर में बताया कि हम दोनो काफी दिनो से अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त कर रहे है। जो हथियार व कारतूस पुलिस टीम द्वारा हमसे बरामद किये गये हैं उन्हें हम अपने साथी से खरीद कर लाते थे जो जनपद शामली में रहता है। अवैध हथियारों को सस्ते दाम में खरीदकर हम थाना बिहारीगढ व आस पास के क्षेत्र में अधिक कीमत में बेच कर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। । हम जब अवैध हथियार खरीदने बेचने के सम्बन्ध मे आपस मे फोन पर बातचीत करते थे तो हम तमंचे के लिये (सूट) कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता -

1. इलियास पुत्र मन्जूर हसन निवासी कल्लनहेडी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
2. मोनू पुत्र फूल सिंह निवासी अम्बहेटा मोहन थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर

अभियुक्तवार बरामदगी का विवरणः-

04 तमंचे 315 बोर , 04 जिन्दा / 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 मोबाइल फोन (अभियुक्त इलियास से)
01 देशी रायफल (पौना) 315 बोर , 03 देशी तमंचे 315 बोर , 02 जिन्दा कारतूस / 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 मोबाइल फोन (अभियुक्त मोनु से)

गिरफ्तार अभियुक्त इलियास उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 225/10 धारा 379 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त मोनू उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 98/15 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 121/15 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 380/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 400/20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 422/20 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 180/21 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 05/22 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 88/22 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 202/22 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना बडगाँव जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री योगेन्द्र कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

4. है0का0 विनित हुड्डा सर्विलान्स सैल सहारनपुर
5. है0का0 मोहित कुमार सर्विलान्स सैल सहारनपुर
6. है0का0 1025 रविन्द्र कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
7. का0 2331 लवलेश थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
8. का0 1557 गौरव थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
9. का0 2514 रणजीत कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
10. का0 2276 देवेन्द्र कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

दिनांकः 18.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.04.2024 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त **अब्बू लंगडा उर्फ अबरार पुत्र बहार अहमद निवासी इमली तला ढोलीखाल थाना कुतुबशेर सहारनपुर** सम्बन्धित **वाद सं0 1738/20 मु0अ0सं0 395/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट** थाना कुतुबशेर सहारनपुर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। वारंटी अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पताः-

- अब्बू लंगडा उर्फ अबरार पुत्र बहार अहमद निवासी इमली तला ढोलीखाल थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 1811 राहुल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1061 सन्दीप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 18.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीष एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 1 लाख 40 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः –

अवगत कराना है, कि दिनांक 28.12.2013 को वादी अरविन्द पुत्र सतपाल नि0 अम्बेहटा चांद थाना बडगांव जनपद सहारनपुर के भाई को अभियुक्तगणों 1-दीपक उर्फ दीप्पा पुत्र सददन 2-काला उर्फ प्रदीप पुत्र चन्दर निवासीगण अम्बेहटा चांद थाना बडगांव जनपद सहारनपुर के द्वारा प्रवीण उम्र-22 वर्ष की हत्या कर शव को गन्ने के खेत में छिपा देने की सूचना पर मु0अ0सं0 277/2013 धारा 302/34/201 भादवि थाना बडगांव पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 370/2014 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष एडीजे-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 18.04.2024 को अभियुक्तगण **1-दीपक उर्फ दीप्पा पुत्र सददन 2-काला उर्फ प्रदीप पुत्र चन्दर को मु0अ0सं0 277/2013 धारा 302/34/201 भादवि का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 70 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी
विवेचक क्षेत्राधिकारी रिटा0 कमल सिंह चौहान
पैरोकार का0 2368 उत्तम सिंह थाना बडगांव सहारनपुर।

दिनांक- 18.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

अवगत कराना है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 का प्रथम चरण का मतदान जो कल दिनांक 19.04.2024 को होने जा रहा है जिनमें पोलिंग पार्टियों को मतदान स्थल तक पहुँचाने के लिए कुल 613 बसें लगाई गयी जो सेन्ट्रल वेयर हाउस, जनता रोड़ के सामने पराग डेयरी ग्राउण्ड और महाराजा इण्टर कॉलेज ग्राउण्ड सहारनपुर से रवाना की जा रही है। वाहनों की पार्किंग व रवानगी की सम्पूर्ण व्यवस्था पुलिस अधीक्षक नगर, सहारनपुर के निर्देशन में की जा रही है, आज दिनांक 18.04.2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा सेन्ट्रल वेयर हाउस से मतदान केन्द्रो को रवाना हो रही बसों का जायजा लिया गया तथा सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये।

पराग डेयरी ग्राउण्ड, सहारनपुर से विधानसभा क्षेत्र बेहट, सहारनपुर नगर व सहारनपुर देहात की बसे रवाना की जायेंगी। जिनकी यातायात व्यवस्था के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी, सीओं बेहट, सीओ सिटी प्रथम तथा सीओं सिटी द्वितीय लगाये गये है। विधानसभा क्षेत्र बेहट में 216 मतदान केन्द्र है जिसमें 397 मतदेय स्थल है। सहारनपुर नगर क्षेत्र में 107 मतदान केन्द्र है जिसमें 454 मतदेय स्थल है तथा सहारनपुर देहात क्षेत्र में कुल 190 मतदान केन्द्र है जिसमें 379 मतदेय स्थल है।

महाराजा इण्टर कॉलेज ग्राउण्ड, सहारनपुर से विधासभा क्षेत्र नकुड़, देवबंद, रामपुर मनिहारान तथा गंगोह की बसे रवाना की जायेंगी। जिनकी यातायात व्यवस्था के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी, सीओं नकुड़, सीओ देवबंद तथा सीओं रामपुर मनिहारान तथा सीओं गंगोह लगाये गये है। विधानसभा क्षेत्र नकुड़ में 225 मतदान केन्द्र है जिसमें 386 मतदेय स्थल है। देवबंद क्षेत्र में 176 मतदान केन्द्र है जिसमें 365 मतदेय स्थल है रामपुर मनिहारान क्षेत्र में कुल 178 मतदान केन्द्र है जिसमें 331 मतदेय स्थल है

तथा गंगोह क्षेत्र में 211 मतदान केन्द्र है जिसमें 396 मतदेय स्थल है। जनपद सहारनपुर में कुल 1303 मतदान केन्द्र है तथा 2708 मतदेय स्थल है

उक्त मतदान को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सभी संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए गये है तथा शेष केन्द्रों पर प्रर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गयी है उक्त चुनाव में 38 कम्पनियां केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, 8 कम्पनी पीएसी तथा जनपद सहारनपुर एवं अन्य जनपदों से आये पुलिस बल लगभग 20,000 पुलिस बल लगाया गया है जनपद सहारनपुर को 22 जोन व 216 सैक्टरों में विभाजित किया गया है चुनाव के दौरान जनपद में कुल 25 अन्तर्राज्यीय व 10 अन्तर्जनपदीय बैरियर लगाये गये है प्रत्येक थाने पर कलस्टर मोबाइल व क्यूआटी लगाई गयी है। सभी मतदान केन्द्रों पर आज सांय 06.00 बजे सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के खाने व ठहरने की व्यवस्था का जायजा लिया जायेगा तथा ड्यूटी पर गैरहाजिर पुलिस कर्मियों के स्थान पर अन्य पुलिस कर्मियों को तैनात किया जायेगा।